कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 66 / 2023

साजिद हुसैन निवासी ग्राम पंचायत नौगांवा, तहसील कांमा जिला डीग, राज0 मो0 नं0 9828288786

..अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 08.11.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट साजिद हुसैन निवासी ग्राम पंचायत नौगांवा, तहसील कांमा जिला डीग, राज0 की अपील लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 2023 / 769 दिनांक 01.11.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्रांक रसद / आरटी.आई. / 2022 / 805 दिनांक 07.11.2023 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का अपील में कथन है कि उसको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त

आरटीआई / अपील / 2023 / 66
साजिद हुसैन बनाम जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

जवाब से यह स्पष्ट है कि उनके (प्रार्थी) द्वारा चाही गई सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक सं0 CR232763676IN दिनांक 28.08.2023 से प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि उनके स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न) प्रेषित की जावे।, इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर